झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 01.08.2024 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू० 29 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री सरयू राय
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री बन्ना गुप्ता
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग. झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् अनुदानित दर पर भेजे गये खाद्यान्नों को एफसीआई गोदाम से निगम के गोदाम तक लाने और वहाँ से राशन दुकानों तक वितरित करने का दायित्व निगम पर है। साथ ही, निगम, राज्य सरकार द्वारा अनुदानित दर पर उपलब्ध धोती–साड़ी– लुंगी, नमक, चीनी, दाल आदि का वितरण भी करता है।	आंशिक स्वीकारात्मक। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारतीय खाद्य निगम से अनुदानित दर पर प्राप्त होने वाले खाद्यान्न को भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, झारखण्ड के गोदामों तक पहुँचाने का दायित्व झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, झारखण्ड का है। झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, झारखण्ड के गोदाम तक नमक, चीनी का परिवहन चयनित आपूर्तिकर्त्ता द्वारा किया जाता है। दाल का परिवहन झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, झारखण्ड के गोदाम तक नाफेड द्वारा किया जाता है। झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, झारखण्ड के गोदाम से जन वितरण प्रणाली दुकानों तक खाद्यान्न एवं नमक, चीनी का परिवहन उपायुक्त द्वारा चयनित डोर स्टेप डिलिवरी के परिवहन अभिकर्त्ताओं द्वारा किया जाता है। धोती/लुंगी, साड़ी चयनित आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रखण्ड स्तरीय गोदामों में पहुँचाया जाता है एवं उन गोदामों से धोती/लुंगी, साड़ी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा प्राप्त की जाती है।
(2) क्या यह बात सही है कि राज्य खाद्य निगम के पास मानव बल की कमी के कारण वितरण के बाद निगम के गोदामों में तथा राशन डीलरों के पास काफी मात्रा में अनाज बचा हुआ रह जाता है और धोती–साड़ी–लुंगी, नमक, चीनी, दाल आदि भी बचा रहा जाता है;	अस्वीकारात्मक। वर्त्तमान में जन वितरण प्रणाली दुकानों से जो लाभुक सामग्री का उठाव नहीं करते हैं उन लाभुकों की उक्त सामग्री संबंधित जन वितरण प्रणाली दुकान पर अल्पकाल के लिए अवशेष बच जाती है, जिसका समायोजन संबंधित जन वितरण प्रणाली दुकानदार के आगामी Allocation से किया जाता है। वर्त्तमान में झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदाम से जन वितरण प्रणाली दुकानदार को सामग्री की डोर स्टेप डिलिवरी उपरोक्त वर्णित समायोजन के पश्चात् की जाती है। उदाहरणस्वरूप वर्त्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न का इंडेंट अवशेष खाद्यान्न के समायोजन के पश्चात् प्रेषित किया जाता है। इसी प्रकार झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत चावल का इंडेंट झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को अवशेष चावल के समायोजन के पश्चात् भेजा जाता है। सोना–सोबरन धोती साड़ी योजना अंतर्गत आपूर्तिकर्त्ता को इंडेंट अवशेष सामग्री के समायोजन के पश्चात् प्रेषित किया जाता है। मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना अन्तर्गत दाल का इंडेंट नाफेड को अवशेष दाल के समायोजन के पश्चात् प्रेषित किया जाता है। इस प्रकार अवशेष सामग्री का नियमित समायोजन होने के फलस्वरूप सामान्यतः झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदामों एवं जन वितरण प्रणाली की दुकानों में दीर्घकाल में सामग्री बची नहीं रह जाती है तथा झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के मानव संसाधन की कमी इस संबंध में प्रासंगिक नहीं है।

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बताएगी कि राज्य खाद्य निगम के गोदामों में तथा राशन डीलरों के पास उपर्युक्त सामग्रियों की कितनी मात्रा दिसम्बर–2014 में एवं दिसम्बर–2019 में अवशेष थी और कितनी मात्रा जून–2024 तक अवशेष है ?	इस संबंध में झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, झारखण्ड के पत्रांक–2023, दिनांक 29.07.2024 एवं खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखण्ड का पत्रांक–899, दिनांक 29.07.2024 द्वारा सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी से प्रतिवेदन की माँग की गई है। इस प्रकार के एक अन्य मामले में विभागीय आदेश ज्ञापांक–1802 दिनांक 29.07.2024 द्वारा जाँच दल का गठन किया गया है। सम्प्रति प्रतिवेदन अप्राप्त है।

ह0/–
(संजय कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–26/2024 1836 /राँची, दिनांक 31/7/24

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या– 3327, दिनांक 26.07.2024 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/07/24
सरकार के अवर सचिव।